MJC No.- 770 / 2018 कुमार अरविन्द गुप्त @ अरविन्द कुमार एवं अन्य के मामले में दिनांक– 28.11.2018 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में आयोजित बैठक की कार्यवाही :–

यह मामला नगर परिषद्, फुलवारीशरीफ में नाला निर्माण के दौरान व्याप्त गढ्ढे को ठीक करने से संबंधित है। इस मामले में पूर्व में दायर PIL CWJC No.- 15133/2017 तथा इस मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक– 03.11.2017 को पारित आदेश के अवलोकनोपरांत बुडको द्वारा इस मामले में नगर परिषद्, फुलवारीशरीफ एवं बुडको के पदाधिकारियों की बैठक बुलाए जाने के अनुरोध पर प्रधान सचिव द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई। बताया गया कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए बुडको को नगर परिषद्, फुलवारीशरीफ से समन्वय कर निष्पादन करना चाहिए था। मामला मुख्यतः फुलवारीशरीफ नगर परिषद् में बुडको द्वारा कार्यान्वित Strom Water Drainage योजना Phase I, II एवं III से ही संबंधित है। बुडको द्वारा इस मामले से संबंधित अवमानना वाद में Show Cause दायर किया गया है।

सभी तथ्यों के आलोक में प्रधान सचिव द्वारा निदेश दिया गया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन बुडको के कार्यक्षेत्र में है और बुडको इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। आवश्यकतानुसार बुडको माननीय उच्च न्यायालय में पूरक कारण पृच्छा दायर करे।

सधन्यवाद बैठक समाप्त की गई।

29/11/18

(के०डी०प्रोज्ज्वल),
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक–02ब०/न्या०–19–33/2017 6199 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 29/11/18

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बुडको/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, फुलवारीशरीफ को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/11/18

सरकार के उप सचिव।